

पत्रांक:-एम-04-41/2006...../वि०,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषय:- स्थायी अग्रिम के अधिसीमा की स्वीकृति/विस्तार के सम्बन्ध में ।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-8585/वि०, दिनांक-10.08.2010 द्वारा राज्य सरकार ने स्थायी अग्रिम की वित्तीय शक्तियों का विस्तार बिहार वित्त नियमावली के नियम-112(2) के अन्तर्गत निम्नवत किया:-

पदाधिकारी

प्रदत्त वित्तीय शक्ति

(क) सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव	₹1,00,000/-
(ख) सभी जिला पदाधिकारी	₹1,00,000/-
(ग) सभी अनुमंडल पदाधिकारी	₹25,000/-

कालांतर मे प्रशासी विभागों से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक मे स्थायी अग्रिम की स्वीकृति एवं उसकी अधिसीमा में वृद्धि किये जाने की कार्रवाई हुई । इस क्रम में वर्ष 2010 के उत्तरार्द्ध से स्वीकृत/संशोधित स्थायी अग्रिम निम्नवत है :-

क्र०	वित्त विभागीय संकल्प का संदर्भ	प्राधिकार/विभाग का नाम	प्रदत्त वित्तीय शक्ति
1	13993/वि(2), दिनांक-14.12.2010	सभी विभागाध्यक्ष	₹1,00,000/-
2	7596/वि(2), दिनांक-23.07.2012	सभी अनुमंडल पदाधिकारी	₹1,00,000/-
3	3266/वि०, दिनांक-26.04.2016	राज्य अग्निशाम पदाधिकारी	₹5,00,000/-
4	4567/वि०, दिनांक-03.06.2016	सभी प्रमंडलीय मुख्यालय स्तर पर उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त तथा मुख्यालय स्तर पर श्रमायुक्त के सचिव	₹1,00,000/-
5	5233/वि०, दिनांक-29.06.2016	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त	₹1,00,000/-
6	7383/वि० दिनांक-16.09.2016	पुलिस महानिदेशक	₹5,00,000/-
7	2258/वि०, दिनांक-27.03.2017	सामान्य प्रशासन विभाग(विभागीय स्थायी अग्रिम)	₹2,00,000/-
8	4107/वि०, दिनांक-15.06.2017	सभी जिला योजना पदाधिकारी	₹25,000/-
9	5067/वि० दिनांक-21.07.2017	गृह विभाग (विभागीय स्थायी अग्रिम)	₹3,00,000/-
10	7476/वि० दिनांक-08.10.2018	पथ निर्माण विभाग (विभागीय स्थायी अग्रिम)	₹2,00,000/-
11	721/वि० दिनांक-21.01.2019	सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (निर्वाचन कार्य हेतु)	₹2,00,000/-
12	4506/वि० दिनांक-23.05.2019	समादेष्टा, राज्य आपदा रिस्पॉस फोर्स	₹5,00,000/-
13	7384/वि० दिनांक-11.09.2019	सभी थाना/ओ०पी० (निर्धारित श्रेणीवार यथा, A, B एवं C)	A-₹25,000/- B-₹15,000, C-₹10,000/-
14	534/वि० दिनांक-17.01.2020	माननीय पटना उच्च न्यायालय	₹5,00,000/-
15	534/वि० दिनांक-17.01.2020	सभी प्रमंडलीय आयुक्त	₹1,00,000/-
16	5065/वि० दिनांक-11.08.2021	पुलिस महानिदेशक (विभिन्न भारतीय आयुध कारखाना से आयुधों के संकलन/प्राप्ति के निमित्त) केन्द्रीय कारा मंडल कारा उप-कारा	₹20,00,000/- ₹3,00,000/- ₹2,00,000/- ₹1,00,000/-
17	6298/वि० दिनांक-04.07.2022	कृषि विभाग	₹2,00,000/-
18	9425/वि० दिनांक-11.10.2022	सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव	₹2,00,000/-
19	1023/वि० दिनांक-31.01.2023	सामान्य प्रशासन विभाग विभागीय स्थायी अग्रिम जाति आधारित गणना कार्य के निष्पादन तक के लिए	₹2,00,000/- ₹3,00,000/-
20	1469/वि० दिनांक-13.02.2023	उद्योग विभाग विभागीय स्थायी अग्रिम निवेश आयुक्त कार्यालय, मुंबई हेतु	₹2,00,000/- ₹2,00,000/-

21	5384/वि० दिनांक-20.06.2023	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी	₹25,000/-
22	11455/वि० दिनांक-27.12.2023	श्रम संसाधन विभाग के 29 कार्यालयों के श्रम अधीक्षक/सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त	₹1,00,000/-
23	3500/वि० दिनांक-26.03.2025	श्रम संसाधन विभाग के 06 कार्यालयों के उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त	₹1,00,000/-
24	11309/वि०, दिनांक-04.11.2025	सामान्य प्रशासन विभाग (विभागीय स्थायी अग्रिम)	₹3,00,000/-
25	3525/वि०, दिनांक-15.04.2026	मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय (विभागीय स्थायी अग्रिम में से आवश्यकतानुसार)	

सम्प्रति श्रम संसाधन विभाग से प्राप्त अनुरोध के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली को ₹3.00 लाख तक की स्थायी अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विस्तारित शक्तियों के अनुसार राशि की निकासी के लिये अब महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। चूँकि यह स्थायी अग्रिम है, अतः व्यय का विकलन लोक लेखा-2 शीर्ष-8672 स्थायी अग्रदाय (व्यय)-101 सिविल से होगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सभी संबंधितों तथा महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-

(संजीव मित्तल)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी।

ज्ञापांक:-एम-04-41/2006...../वि०, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी।

ज्ञापांक:-एम-04-41/2006...../वि०, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी।

ज्ञापांक:-एम-04-41/2006...../वि०, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना (संचिका सं०-01/IMC-03/2026 में प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी।

ज्ञापांक:-एम-04-41/2006...5204...../वि०,

पटना, दिनांक...03/06/2026

प्रतिलिपि:-ई-गजट प्रशाखा/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी।